न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 40 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट

1. सांवला पुत्र लच्छा का.मु.
   1/1गोविन्दाराम पुत्र सांवलाराम
   1/2बगदाराम पुत्र सांवलाराम
   1/3जुगताराम पुत्र सांवलाराम
   1/4पूंजाराम पुत्र सांवलाराम
   1/5खेताराम पुत्र सांवलाराम
   1/6मिरगोंदेवी पत्नी सांवलाराम
   जाति कुम्हार निवासी चाडों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला वाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.शंकरलाल पुत्र छोगाराम जाति कुम्हार निवासी लुणाकला तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
2.भंवरखां पुत्र मेहबूबखां जाति कोटवाल निवासी सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
3.मोडाराम पुत्र अचलाराम
4.जवांराम पुत्र अचलाराम जाति कुम्हार निवासी चाड़ों की ढाणी तहसील सिणधरी
5.तहसीलदार सिणधरी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 22/2016 बअनवान शंकरलाल वगै. बनाम मोडाराम वगै. में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.05.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री बावुलाल विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री भंवरलाल सारण रेस्पोडेंट संख्या 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 21.07.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश हुआ। अपीलांट की अनुपस्थिति में वमुकाम सिणधरी चारणान लोकअदालत न्याय आपके द्वार 2017 में तहसील सिणधरी के ग्राम गादेसरा के खेत खसरा संख्या 5 रकबा 102.04 बीघा भूमि में वादी संख्या 01 व 02 प्रत्येक का 1/6, 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या .3 का 1/3 हिस्से की घोषणा कर अपीलकर्ता की गैर मौजूदगी में एकपक्षीय निर्णय कर डिक्री पारित कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सिणधरी से तलब करने का आदेश पारित करने में

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी एवं तथ्यों की भूल की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कैम्प कोर्ट में पारित की गई जबकि कैम्प कोर्ट में आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार पर ही निर्णय पारित किया जा सकता है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांट को अपनी शहादत पेश करने कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। अपीलांट अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया:–

CIVIL APPEAL NO. 6223 OF 2021

वकील रेस्पोडेंट संख्या 02 ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। रेस्पोडेंटस अपीलाधीन आराजी का सदभावी क्रेता खातेदार है। हिस्सों को लेकर अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार का उजर पेश नहीं किया गया। अपीलाधीन डिक्री में किसी भी प्रकार की कानूनी कमी नहीं है। अपीलांट दावे को लंबित करने की नियत से अपील पेश की गई है। अपीलांट सद्भाविक एवं स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्राथतिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2017 को अपीलांट व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में जारी किया गया तथा अपीलांट को कैम्प कोर्ट के बारे में कोई नोटिस या सूचना नहीं दी गई इस कारण अपीलांट को उक्त निर्णय व

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी तथा बाद में एकपक्षीय विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर उसके आधार पर अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2020 को जारी करवा दी गई जिस संबंध में भी अपीलांटगण ग्रामीण परिवेश के अनपढ व्यक्ति होने के कारण उनको कोई जानकारी नहीं हो सकी तथा उसके बाद कोविड–19 महामारी के कारण अपीलांटगण अपने घर में ही रहे तथा बाहर नहीं निकले परन्तु वर्तमान में अरसा एक माह पूर्व उतरदाता संख्या 01 व 02 द्वारा वाद अपने पक्ष में निर्णित करवाने का कहकर मौके पर अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर बेंदखल करने की धमकिया दी जिस पर अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपने वाद के बारे में पूछताछ कर जानकारी प्राप्त की गई, तो अधिवक्ता ने प्रकरण न्यायालय से निर्णित होने की जानकारी दी गई जिस पर अपीलांटगण उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील पेश करने की हिदायत दी गई जिस पर अधिवक्ता द्वारा दिनांक 29.03.2021 को प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री की नकले प्राप्त की परन्तु उसके बाद दिनांक 17.04.2021 से कोविड–19 महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के कारण न्यायालय में नियमित सुनवाई न होने के कारण पेश नहीं हो सकी, ऐसे विलम्ब को क्षमा करने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किये गये है तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। हस्तगत अपील में अपीलांट द्वारा हिस्से को लेकर कोई आपति नहीं की गई जबकि अपीलाधीन निर्णय से हिस्से की घोषणा की गई है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट को नाहय तंग व परेशान करने की नीयत से हस्तगत अपील पेश की गई। अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील सुदीर्घ अवधि के पश्चात पेश की गई

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जिसको देरी पेश करने का कोई विधि सम्मत कारण अंकित नहीं किया गया। अपीलांट द्वारा अपील के साथ पेश प्राथमिक निर्णय की नकल दिनांक 15.01.2018 को जारी की गई जो पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्राथमिक डिक्री पारित होने के पश्चात विभाजन प्रस्ताव पर आपति पेश की गई इससे साफ जाहिर होता है कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी डिक्री पारित होने की दिनांक से ही थी। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील मियाद बाहर सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट मियाद बाहर एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 22/2016 बअनवान शंकरलाल वगै. बनाम मोडाराम वगै. में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.05.2017 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 21.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर